"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 358] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2009—अग्रहायण 20, शक 1931

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि./22/2009/1940.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील तथा पुनरीक्षण) नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 3 के खण्ड (ख) में शब्द "संचालक, पंचायत" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाय.

2. नियम 3 के खण्ड (ग) में शब्द "संचालक, पंचायत" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाय.

3. नियम 3 के खण्ड (घ) के कालम (2) के पैरा (ग) में शब्द "संचालक, पंचायत" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाय.

4. नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में शब्द "पंचायत संचालक" के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2009

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2009/1941.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2009/1940, दिनांक 11-12-2009 में संशोधन बाबत् अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, विशेष सचिव.

Raipur, the 11th December 2009

NOTIFICATION

No./P./PGVV/22/2009/1940.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 95 read with section 91 of the Chhattisgarh Panchayatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Panchayat (Appeal and Revision) Rules, 1995, the same having been previously published as required by the sub-section (3) of the section 95 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. In Clause (b) of rule 3 for the words "Director of Panchayat" the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

2. In Clause (c) of rule 3 for the words "Director of Panchayat" the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

3. In Para (c) of column (2) of clause (d) of rule 3 for the words "Director of Panchayat" the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

4. In Clause (a) of sub-rule (1) of rule 5 for the words "Director of Panchayat" the words "Divisional Comm - ssioner" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEBASHISH DAS, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.